

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

सं. ए-28012/(2)/2017-18/स्था.ए./

नागपुर, दिनांक 06/04/2018

शुद्धि - पत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या ए-28012/2/2017-स्थाए दिनांक 19.03.2018 के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ संख्या दो (02) पैरा 03 के अंतिम पंक्ति में सुधार किए गए हैं।

ऐसा था	ऐसा पढ़ा जाए
दिनांक 15.05.2017 के परिपत्र के साथ संलग्न निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार उनके अधीनस्थों के एपीएआर सभी तरह से पूर्ण किए गए हैं तथा संबंधित प्राधिकारियों को भेजे गए हैं, इस आशय का प्रमाण - पत्र भी वे जारी करेंगे।	दिनांक 15.05.2017 के परिपत्र के साथ संलग्न निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार उनके अधीनस्थों के एपीएआर सभी तरह से पूर्ण किए गए हैं तथा संबंधित प्राधिकारियों को भेजे गए हैं, इस आशय का प्रमाण - पत्र भी वे अक्टूबर, 2018 में जारी करेंगे।

उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त दिनांक 19.03.2018 का परिपत्र यथावत है।

यह शुद्धि - पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(संजय कुमार सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रति :

- (1) भारतीय खान ब्यूरो के सभी विभागीय / आंचलिक / क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय / क्षेत्रीय खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला / अनुभाग प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के बीच सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित करें।
- (2) वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (अराज.) / प्रशासन अधिकारी (राज.), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
- (3) महानियंत्रक के निजी सहायक (गोपनीय) भारतीय खान ब्यूरो।
- (4) प्रभारी अधिकारी, टीएमआईएस, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को इस परिपत्र को भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।